



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1942 (श०)
(सं० पटना 1002) पटना, वृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर 2020

वित्त विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)

अधिसूचना
31 दिसम्बर 2020

सं० रा०वि०आ०(६)का०-३९/२०१८ (पार्ट)-६५८०-भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३(१) सहपठित २४३(४) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायती राज अधिनियम, २००६ की धारा-१६८ एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, २००७ की धारा-७१ के प्रावधानों के अंतर्गत षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-१८३५ दिनांक २०.०२.२०१९ द्वारा किया गया था। गठन के समय आयोग का कार्यकाल ३१ जनवरी, २०२० तक निर्धारित था। पुनः वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-८०६ दिनांक-२९.०१.२०२० के द्वारा दिनांक ३१.१२.२०२० तक अवधि विस्तारित किया गया। आयोग द्वारा दिनांक ३१.१२.२०२० तक अपना अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित किया जाना था परन्तु कतिपय कारणों से प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जा सका है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के अनुसार अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल दिनांक-३१ मार्च, २०२१ तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस० सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) १००२-५७१+५००-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>